अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2005

का.आ. 399(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भास्कर डैन्टल फाउंडेशन, सं0 54, जी एन रोड, टी नगर, चेन्नई-600017 द्वारा कांचीपुरम और तिरूवेल्लोर जिलों में कम्यूनिटी दंत स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता के लिए कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षो की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 15 पर विनिर्दिष्ट किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 15.00 लाख रूपये से 20.00 लाख रूपए तक संशोधित करने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
(क) भास्कर डैन्टल फाउंडेशन, सं0 54, जी एन रोड, टी नगर, चेन्नई-600017 द्वारा कांचीपुरम और तिरूवेल्लोर जिलों में कम्यूनिटी दंत स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 (अ0) को निम्नलिखित प्रभाव तक, संशोधित करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 15 के सम्मुख कॉलम(4) में धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुमत किए जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित अक्षर आंकड़े और शब्द "केवल 15.00 लाख रूपये" के स्थान पर अक्षर,आंकड़े और शब्द "20.00 लाख रूपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 110/2005/फा. सं. एनसी–270/01/2005]

डी.पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)